म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र.भासन का उपक्रम) CIN:U40109MP2001SGC014880

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर (म.प्र.), -482008(MP) दूरभाष:-(0761) 2702036,2702041,

फैक्स:-(0761)2664450, e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/ई–1/1635 जबलपुर, दिनांक 31/5/2018

विज्ञापन

लाइन परिचारक (संविदा) के पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन
(केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए)

म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड जो कि म.प्र. शासन का एक उपक्रम है, में लाइन परिचारक (संविदा) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑन लाईन परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य (मैरिट) सूची, पश्चात शारीरिक दक्षता, के आधार पर नियुक्ति हेतु म.प्र.राज्य के मूल निवासी पात्र पुरूष उम्मीदवारों से **दिनांक 01.07.2018 तक ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम–2018 की शर्तों एवं उसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों के अधीन होगी। संभावित रिक्तियाँ निम्नानुसार हैः–

विवरण	अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल रिक्त पद
संभावित रिक्तियों की संख्या	35	9	12	14	70
उपरोक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों हेतु समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षित पद	7	2	2	3	14

टीप–

- पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है या विज्ञापन स्थगित/निरस्त भी किया जा सकता है।
- उपरोक्त पद हेतु मात्र पुरूष उम्मीदवार ही आवेदन करें।
- **जिन आवेदकों द्वारा लाइन परिचारक (संविदा) के पद हेतु प्रकाशित कंपनी के पूर्व विज्ञापन कमांक अस/एमपीपीटीसीएल/3926, दिनांक 8.12.2017 के विरूद्ध आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथापि उन पर वर्तमान विज्ञापन में अंकित संविदा सेवाशर्तें लागू होंगी।**

1. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता :**

1.1 दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण।

1.2 केन्द्र या राज्य शासन (एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से आई.टी.आई. (इलैक्ट्रिशियन ट्रेड) परीक्षा उत्तीर्ण (अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर) (आई.टी.आई में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा तथा नर्मदानगर आई.टी.आई. से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे)।

2. **पात्रता : केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए।**

3. **आयु सीमा :**

3.1 न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना कैलेंडर वर्ष से 01 जनवरी में की जावेगी।

3.2 म.प्र.शासन (GAD) के परिपत्र कमांक 3–8/2016/3–एक, दिनांक 12.05.2017 के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं विभिन्न श्रेणीवार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार रहेगी–

क्र	आवेदक श्रेणी	म.प्र.के मूल निवासी हेतु अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)
1	पुरूष (अनारक्षित वर्ग)	40
2	पुरूष (शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्था के कर्मचारी एवं होम गार्ड)	45
3	पुरूष (आरक्षित वर्ग– अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.)	45
4	पुरूष (आरक्षित वर्ग– शासकीय/निगम/मंडल/स्वसायी संस्था के कर्मचारी एवं होम गार्ड)	45
5	भूतपूर्व सैनिक	45

4. **आवेदन करने की विधि :**

4.1 आवेदन केवल एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) के माध्यम से प्राप्त होंगे। एम.पी.ऑनलाईन वेबसाइट की लिंक कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4.2 आवेदक द्वारा निम्नांकित दस्तावेजो की स्कैन्ड प्रति अपलोड की जावेगी :

(अ) जन्म तिथि के सत्यापन हेतु हाई स्कूल की अंकसूची।

(ब) केन्द्र या राज्य शासन (एन.सी.व्ही.टी./एस.सी.व्ही.टी) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई. (इलैक्ट्रिशियन ट्रेड)/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत इलेक्ट्रीकल से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदा नगर, आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र।

(स) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक फ 7–2/92/आ.प्र/एक दिनांक 01.08.1996 एवं

उत्तरवर्ती संशोधन (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (SDO (Revenue)) द्वारा जारी किया गया हो।

(द) म.प्र.का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

(ई) भूतपूर्व सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी सेवा संबंधी प्रमाण पत्र।

5. **<u>आवेदन शुल्क एवं अन्य शुल्क :</u>**

51 म.प्र. के मूल निवासी अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु आवेदन शुल्क रू. 1000/– रहेगा। म.प्र. के मूल निवासी अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) आवेदकों के लिए आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क रू. 800/– रहेगा।

5.2 आवेदन एम.पी.ऑनलाईन किओस्क के माध्यम से नगद भुगतान कर के भी किया जा सकता है।

5.3 आवेदकों को आवेदन में सुधार हेतु, आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले पोर्टल शुल्क रू. 60/– का भुगतान करने पर एक अवसर प्रदान किया जावेगा।

6. **<u>चयन प्रकिया :</u>**

6.1 ऑनलाइन आवेदन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा। विज्ञापन के अनुसार आवेदन फार्म प्रारम्भ दिनांक से एक महिने की अवधि के लिए लाइव होगा।

6.2 ऑनलाइन परीक्षा हिंदी/अंग्रेजी भाषा में दो घंटे की अवधि की होगी। परीक्षा में 100 ऑबजेक्टिव प्रश्न होंगे (प्रति प्रश्न 1 अंक), जिसमें से 75 प्रश्न 10वीं कक्षा एवं आई.टी.आई. (इलैक्ट्रिशियन ट्रेड) तथा 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग नहीं की जावेगी। ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंको की वरीयता के आधार पर चयन किया जावेगा।

6.3 ऑनलाइन परीक्षा में दो या दो से अधिक आवेदकों के प्राप्ताकों के सामान होने पर वरीयता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः

(अ) जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(ब) समान जन्म तिथि होने पर अर्हकारी परीक्षा (आई.टी.आई.) में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

(स) एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।

6.4 अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु कटऑफ 40 प्रतिशत रहेगा एवं अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. (नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदकों हेतु कटऑफ 30 प्रतिशत रहेगा।

6.5 शारीरिक दक्षता हेतु चयन : शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनी की वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।

6.6 शारीरिक दक्षता परीक्षा : ऑनलाईन परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण में निम्न परीक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः

(अ) लाइन परिचारक (संविदा) के पद पर चयन हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा जबलपुर मुख्यालय में आयोजित की जावेगी, जिसमें अभ्यर्थी को –

(ब) 15 किलोग्राम वजन लेकर अधिकतम 10 मिनिट में 1 किलोमीटर की दूरी पूरी करनी होगी।

(स) एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण न करने पर पुनः दक्षता परीक्षा नहीं ली जावेगी।

(द) शारीरिक दक्षता परीक्षा उतीर्ण न करने पर उम्मीदवार को चयन के अयोग्य घोषित किया जावेगा।

7. **यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति :**
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों को यात्रा भत्ता प्रतिपूर्ति म.प्र.शासन, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.09.2013 अनुसार एकल किराया राशि देय होगी।

8. **चयन एवं नियुक्ति :**

8.1 वरीयता के आधार पर, चयनित उम्मीदवारों की अस्थायी सूची कंपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा।

8.2 उम्मीदवारों द्वारा एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज कर स्कोर कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।

8.3 मेरिट लिस्ट परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची कंपनी की आवश्यकता के अनुसार तैयार की जाएगी। हालांकि, एक वर्ष से पहले भी विशिष्ट आदेश जारी करके भर्ती प्रक्रिया को प्रतीक्षा सूची के संचालन के लिए बन्द किया जा सकता है। प्रक्रिया को बन्द करने के विशिष्ट आदेश जारी करने के बाद किसी भी उम्मीदवार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.4 कार्य की प्रकृतिः लाइन परिचारक (संविदा) की नियुक्ति पर उम्मीदवार को विद्युत पारेषण से संबंधित कार्य, विद्युत लाईन के निर्माण कार्य जिसमें गड्डा खोदने, सामान की ढुलाई एवं लाईन तैयार करने एवं उपकेन्द्र के निर्माण से संबंधित सभी श्रम साध्य कार्य एवं समाय–समय पर आवश्यकतानुसार आवंटित अन्य कार्य करना होंगे।

9. **आरक्षण :**

9.1 म.प्र. के मूल निवासी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के आवेदकों हेतु म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित रहेंगे।

9.2 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के लिए पदों का आरक्षण केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होगा।

9.3 म.प्र.शासन के राजपत्र दिनांक 11 जनवरी 2010 से संशोधित नियम 4(ख) सहपठित राजपत्र दिनांक 16 जनवरी 2018 से संशोधित नियम 4(ख) के अनुसार श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला छिन्दवाडा के तामिया विकासखंड की भारिया आदिम जनजाति और जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता पूर्ण करने पर एवं निर्धारित आयु सीमा में होने पर, भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जावेगा। इस हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन), ब्लाक नं.–2, द्वितीय तल, शक्तिभवन, म.प्र.पा.ट्रांसमिशन कं.लि., जबलपुर में ऑनलाइन परीक्षा दिनांक से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

9.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को म.प्र.शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु स्वीकृत पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण "हारिजान्टल एवं कम्पार्टमेंट वाईज" है। इन पदों हेतु योग्य

उम्मीदवार उपलब्ध न हाने पर इनके लिये आरक्षित पद केरीफारवर्ड नही होंगे। ऐसी स्थिति में यह पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे। यदि चयन सूची में पहले से ही 20 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मैरीट के आधार पर उपलब्ध होगे तो पृथक से आरक्षण और नही दिया जायेगा।

9.5 म.प्र.राज्य के भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें स्पष्ट हो कि सेवाकाल के दौरान इन्हें गंभीर दण्ड से दंडित नही किया गया है। दंडित भूतपूर्व सैनिक लाईन परिचारक (संविदा) के पद पर भर्ती के पात्र नहीं होगें।

9.6 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र कमांक एफ 7–47/2016/आ.प्र/एक दिनांक 01.01.2018 के अनुसार धीवर, कहार, भोई, केवट, मल्लाह, निषाद जाति के उम्मीदवारेां को प्रभावी दिनांक 11.11.2005 से अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आरक्षण नही दिया जाएगा।

9.7 मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र कमांक सी 3–8/2015/ एक–3, भोपाल, दिनांक 15 जून, 2017 के माध्यम से म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को लाइन परिचारक के पदों की सीधी भर्ती हेतु महिला आरक्षण से छूट प्रदान की गयी है।

10. **<u>पात्रता के संबंध में सामान्य शर्तें :</u>**

10.1 उम्मीदवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

10.2 पात्रता मापदंड, शिक्षा एवं आयु को पूर्ण करने वाले शासकीय/ अर्ध शासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित चैनल के माध्यम से आवेदन करना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय ऐसे अभ्यर्थी को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।

10.3 ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद तृतीय संतान की प्राप्ति हुई हो को आवेदन की पात्रता नहीं है। वे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे जिनकी एक जीवित संतान के रहते दिनांक 26.01.2001 अथवा उसके बाद एक ही प्रसव के दौरान एक से अधिक संताने पैदा हुई है।

10.4 चयन के समय अथवा भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने दस्तावेज अंकसूची इत्यादि कूटरचित/फर्जी/बनावटी प्रस्तुत किये है अथवा उसका चयन गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो उसको तत्काल सेवा/अनुबंध से न केवल पृथक किया जाएगा वरन् उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की सकेगी।

10.5 उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यग्रहण करने से पहले जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10.6 ऐसे आवेदक जिन्हें म.प्र.राज्य की किसी भी विद्युत कंपनी द्वारा पदच्युत (DISMISS) किया गया हो, को आवेदन की पात्रता नही होगी।

10.7 ऐसे उम्मीदवार जो विवाहित होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पहले शादी कर चुके हैं, म.प्र.शासन के राजपत्र पर प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 10.03.2000 के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।

10.8 म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के आदेश क्रमांक सी 3–17–96–3–एक, भोपाल दिनांक 25.10.1996 में निहित प्रावधान भी लागू होंगे।

11. **सेवा अनुबंध :**
रूपये 500 के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा। संविदा अनुबंध की अधिकतम कालावधि 03 वर्ष होगी। कालावधि समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः शून्य होगा। कंपनी को यह अधिकार होगा कि, कार्य की आवश्यकता होने पर संविदा कार्मिक द्वारा पिछले संपादित कार्यों एवं आचरण के मूल्यांकन को दृष्टिगत रखते हुए, 03 वर्ष या उससे कम, ऐसी अवधि के लिये जैसा कि कंपनी उचित समझे, नया अनुबंध कर सकेगी। एक अनुबंध से दूसरे अनुबंध के मध्य न्यूनतम 03 कार्य दिवस का अंतराल रखा जायेगा।

12. **संविदा पारिश्रमिक :**
लाइन परिचारक (संविदा) को म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के अनुसार स्थिर राशि रूपये 17,550/– के आधार पर पारिश्रमिक रूपये 17550+मंहगाई भत्ता (1 जनवरी को लागू) देय होगा। यह स्थिर राशि उनकी अनुबंध अवधि हेतु एवं यदि अनुबंध अवधि में वृद्धि भी की जाती है तो भी स्थिर रहेगी।
टीप– उपरोक्त वर्णित पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वर्तमान नियमों में संशोधित अथवा नए नियम लागू किये जाने की स्थिति में परिवर्तनीय होगी।

13. **जाति प्रमाण पत्र एवं चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी का सत्यापन :**

13.1 विज्ञापित पद पर नियुक्ति, कंपनी द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमो के अनुसार चरित्र और पूर्ववर्ती जानकारी के साथ पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के संतोषजनक सत्यापन के अधीन होगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति संतोषजनक चरित्र सत्यापन के अधीन होगी और यदि कोई प्रतिकूल जानकारी प्राप्त होती है तो नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार को रिपोर्ट करने के समय निर्धारित प्रारूप में राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। चयन की स्थिति मे मध्य प्रदेश शासन के चरित्र सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देशों के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थी को रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का स्व–प्रमाणित शपथ पत्र देना आवश्यक है जिसमें आपराधिक प्रकरणों के संबंध में उनके द्वारा उसके पूर्ववत के अन्तर्गत दिए गए विवरणों मे उसने किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया है।

13.2 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में चरित्र एवं पूर्ववर्ती जानकारी के सत्यापन के अलावा सक्षम प्राधिकारी से जाति के सत्यापन के अधीन होगा। यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार/प्रशिक्षु की जाति को मध्य प्रदेश की अनुसूची में आरक्षित वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है अथवा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र नकली/जाली पाया जाता है तो, उम्मीदवार की नियुक्ति को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

14. **नोटिस की अवधि :**

कंपनी अथवा संविदा कार्मिक एक महीने का नोटिस या नोटिस के बदले एक महीने का संविदा पारिश्रमिक देकर बिना किसी उल्लेखित कारण एवं शर्त के सेवाओं को समाप्त कर सकतें है।

15. **नियोजन की विशिष्टता :**

कंपनी के कार्यकाल के दौरान लाईन परिचारक (संविदा) को कंपनी की लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य रोजगार या वाणिज्यिक प्रकृति के किसी भी बाहरी गतिविधियों में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि लाईन परिचारक (संविदा) इस बिन्दु के प्रावाधानों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति को बिना किसी कारण बताए समाप्त कर दिया जाएगा।

16. **गोपनीय सूचना :**

16.1 लाईन परिचारक (संविदा) सेवाओं के दौरान, उसके द्वारा प्राप्त की गई/उसे सौंपी गयी सभी जानकारी को अत्यंत गोपनीय रखेगा और गोपनीयता का पालन करेगा। वह सेवाओं के दौरान अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात भी पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगा एवं तदाशय की गोपनीयता भंग नही करेगा।

16.2 लाईन परिचारक (संविदा) की कंपनी के प्रति ये वचनबद्धता होगी की :

(अ) गोपनीय जानकारी का उपयोग केवल कंपनी में सेवाएं करने के उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

(ब) किसी गोपनीय सूचना की गोपनीयता को सुरक्षित रखेगा।

(स) किसी भी उद्‌देश्य के पूरा होने पर या संस्था से विलग होने पर गोपनीय जानकारी (इसकी प्रतियों सहित) सभी दस्तावेजों या अन्य सामग्री कंपनी को वापस लौटायेगा।

16.3 इस बिन्दु में उल्लेखित गोपनीय जानकारी का मतलब कंपनी के व्यापार, मामलों, संचालन,संपत्ति, संगठन, लेनदेन एवं उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और कंपनी के वित्तीय मामलो से संबंधित कोई भी जानकारी (चाहे मौखिक, लिखित, विजुअल आदि, हार्ड या सॉफ्ट कॉपी) और इसमें रिपोर्ट, सूचना, सलाह और सिफारिश (किसी भी रूप में) किसी भी व्यवहार्यता अध्ययन, मूल्यांकन, रिपोर्ट आदि बिना किसी सीमा के शामिल होगा।

17. **दस्तावेज :**

शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के पूर्व दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल एवं एक सत्यापित छायाप्रति लाना अनिवार्य है :

(क) जन्मतिथि के प्रमाण एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु 10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची।

(ख) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण हेतु केन्द्र या राज्य शासन (एस.सी.व्ही.टी./एन. सी.व्ही.टी.) से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/संस्था से उत्तीर्ण आई.टी.आई. (इलैक्ट्रिशियन ट्रेड) की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र अथवा सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेंस योजना के तहत इलेक्ट्रीकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, नर्मदा

नगर एवं रामपुरा आई.टी.आई. से दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की अंकसूची एवं प्रमाण पात्र।

(ग) वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।

(घ) मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।

(ङ) स्थायी जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के आवेदक हेतु), जोकि म.प्र.शासन, सा.प्र.वि. के परिपत्र क्रमांक फ 7–2/92/आ.प्र/एक दिनांक 01.08.1996 एवं उत्तरवर्ती संशोधित (यदि हो तो) के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के उम्मीदवारों को तहसीलदार द्वारा जारी पिछले 03 वर्ष का नवीनतम परिवार आय प्रमाण पत्र/नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) 05 पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो।

18. उच्च योग्यता/अनुभव के आधार पर उच्च पद में नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। लाइन परिचारक (संविदा) को कंपनी क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा परन्तु किसी भी अन्य कंपनी में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।

19. **क्षेत्राधिकार :**

चयन प्रक्रिया के साथ–साथ सेवा मामलों से उत्पन्न होने वाले कोई भी विवाद कंपनी के मुख्यालय में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में ही मान्य होंगे। कंपनी की सेवा म.प्र.औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत नही आती है।

20. **महत्वपूर्ण दिनांक :**

चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिनांक निम्नानुसार हैः–

क्र.	विवरण	दिनांक
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ होने की दिनांक	02.06.2018
2	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक	01.07.2018
3	एम.पी.ऑन लाईन वेबसाईट से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की दिनांक	11.07.2018
4	ऑनलाईन परीक्षा की दिनांक	24.07.2018
5	निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रश्न पत्र से संबंधित आपत्तियॉ दर्ज करने की दिनांक	26.07.2018 से 29.07.2018
6	ऑनलाईन परीक्षा के परिणाम का प्रकाशन	05.08.2018
7	प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आमंत्रण)	25.08.2018

उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी तिथियां संभावित है। अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथियों में फेर–बदल संभव है। आवेदकों को एम.पी.ऑनलाईन तथा कंपनी की वेबसाईट पर सूचना दी जायेगी। अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिशः नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान एम.पी.ऑनलाईन (www.mponline.gov.in) तथा कंपनी की वेबसाईट (www.mptransco.in) लगातार चेक करें।

महत्वपूर्ण टीप :

1. चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएँ म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम–2018 से शासित होंगी, जो कंपनी की वेबसाइट www.mptransco.in पर उपलब्ध है। **आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व उपरोक्त उल्लेखित संशोधित नियम–2018 का भली–भॉति अध्ययन कर लेवें।**
2. आवेदकों से निवेदन है कि पूरा विज्ञापन पढ़ने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करें तथा विज्ञापन में प्रकाशित प्रावधानों को दूरभाष के माध्यम से पुनः ना पूछें। यदि आवेदक को किसी अन्य संबंध में समस्या है, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया है, केवल ऐसी स्थिति में ही दूरभाष से संपर्क करें।
3. ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत आवेदक अपना आवेदन क्रमांक संभाल कर रखें।
4. आवेदकों द्वारा यात्रा किराया आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जावे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत किये गये यात्रा किराया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)

म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

लाईन परिचारक (संविदा) 2018

ऑनलाईन परीक्षा में उपस्थित होने वाले म.प्र. के मूल निवासी/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को यात्रा किराया भुगतान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण			
नाम			
आवेदन क्रमांक		मध्य प्रदेश का मूलनिवासी	हॉ
श्रेणी (वर्ग)– अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्तजन		ऑनलाइन परीक्षा केन्द्र का नाम	
पत्राचार हेतु वर्तमान पता (ऑनलाइन आवेदन के अनुसार)			
मोबाईल नं.		ई–मेल आईडी	

यात्रा विवरण					
यात्रा कहां से कहां तक	यात्रा की दिनांक	यात्रा का साधन (बस/रेल)	यात्रा की श्रेणी	बस/रेल टिकिट नं.	यात्री किराया (रूपये)
कहां से कहां तक					
				योग –	

बैंक खाता का विवरण			
बैंक खाता क्रमांक		खाता धारक का नाम	
बैंक का नाम		IFS कोड	
बैंक शाखा : नाम एवं पता			

यात्रा किराया भुगतान हेतु इस आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य है :

1. प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की फोटाकापी
2. जाति प्रमाण पत्र की फोटोकापी
3. एक तरफ की यात्रा टिकिट की मूलप्रति
4. मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी प्रमाण पत्र की फोटोकापी
5. बैंक पास बुक के उस पृष्ठ की फोटोकापी जिसमें खाता धारक का नाम, खाता क्रमांक, **IFS** कोड, बैंक एवं ब्रांच का नाम अंकित हो अथवा उक्त जानकारी के सापेक्ष निरस्त (केन्सिल) चैक

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मेरे द्वारा यात्रा भुगतान आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेज संलग्न किये गए हैं। अंकित जानकारी गलत होने अथवा किसी दस्तावेज के अभाव में यात्रा भुगतान न किये जाने पर मेरे द्वारा कोई दावा नहीं किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रपत्र की सभी प्रविष्टियॉ आवेदक द्वारा भरी जावें व आनलाईन परीक्षा के पश्चात आवेदन पत्र उपर्युक्त अभिलेखों सहित परीक्षा केन्द्र पर जमा किया जावे। यात्रा किराया भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा, अतः इस संबंध में दूरभाष पर संपर्क न किया जावे।